हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2018 की प्रथम नियमित बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 29 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1– आचार्य कुलवन्त सिंह पठानिया, अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय
2– आचार्य एस.के. महाजन, अधिष्ठाता समाज–विज्ञान संकाय
3– आचार्य वाई.के. शर्मा, प्रतिनिधि शैक्षणिक परिषद्
4– आचार्य एस.एस. कंवर, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग
5– श्री सुभाष ठाकुर, नामिती राज्य सरकार
6– आचार्य वी.पी. शर्मा, नामिती माननीय कुलाधिपति
7– श्री वी.एस. नेगी, सह–आचार्य, भोटी भाषाएं विभाग
8– श्री के.के. शर्मा, हि.प्र.से. –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

मद संख्या–1: कुलपति महोदय का वक्तव्य।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2018 की प्रथम नियमित बैठक में कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् के लिए माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य के रूप में आचार्य नरेन्द्र कुमार शारदा, पूर्व प्रति-कुलपति, आचार्य वेद प्रकाश शर्मा, पूर्व अधिष्ठाता अध्ययन, हिमाचल विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य श्री सुभाष ठाकुर, माननीय विधायक का स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

उन्होंने आचार्य एस.एस.कंवर जोकि आचार्य जे.बी.नड्डा के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य नियुक्त हुए हैं तथा विश्वविद्यालय के पूववर्ती कुलसचिव आचार्य एस.एस.नारटा का बतौर कुलसचिव एवं कार्यकारिणी परिषद् के सचिव के पद पर कार्यनिर्वहन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने नव नियुक्त कुलसचिव श्री कृष्ण कुमार शर्मा, हि.प्र.से. का स्वागत भी किया।

कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद को अवगत कराया कि इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाऐं आयोजित की गईं:-

1. दिनांक 9 मार्च, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अफगानस्तिान के राजदूत डॉ.शायिदा मोहम्मद अबदाली ने विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ यहां पढ़ने वाले अफगानी छात्रों के साथ बातचीत की तथा इन्हें आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया।

2. दिनांक 23 मार्च, 2018 को वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी 'हिमालय क्षेत्र में उपलब्ध जैव विविधता एवं जैव उपयोगिता' विषय पर आयोजित की गई।

3. दिनांक 23 मार्च, 2018 को एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित 'जैविक किसान मण्डी' का आयोजन किया गया जिसका शुभारम्भ महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एवं कुलाधिपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने किया।

4. दिनांक 25 मार्च, 2018 को राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

5. दिनांक 25 मार्च, 2018 को ही सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के प्राध्यापक व शोधकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया।

6. दिनांक 26 मार्च, 2018 को वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 23 करोड़ घाटे का बजट अनुमोदित किया गया।

तदोपरांत उन्होंने कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

मद संख्या–2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 03–10–2017 व 22–01–2018 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 03–10–2017 व 22–01–2018 को हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया।

मद संख्या–3: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 03–10–2017 व 22–01–2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 03–10–2017 व 22–01–2018 को हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या–4: कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12 –सी (7) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाने बारे।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टांडा, कांगड़ा के तीन छात्रों श्री कार्तिक टोकस (रोल नं0–2460), किरण राणा प्रकाश (रोल नं0–2717), तथा ऑचल शर्मा (रोल नं0–2728)को एम.बी.बी.एस. **Final Prof. Part-II** की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने हेतु लिए गए निर्णय को नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या–5: कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समयावधि के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है।

मद संख्या–6: विश्वविद्यालय कुलगीत में कटौती करने बारे गठित समिति की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तृत चर्चा के उपरांत विश्वविद्यालय कुलगीत में कटौती करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप कुलगीत के अन्तिम छंद– "तपोरतदेवदारू खड़े.....सततसमुदय" को हटाने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–7: कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 30–12–2016 में मद संख्या–07 में लिए गए निर्णय और अधिकृत की गयी **GPF/CPF/CPS** व कॉपर्स फंड निवेश समिति की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् मामले को वित्त समिति की उचित अनुशंसा हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–8: भर्ती एवं पदोन्नति समिति की तकनीकी स्टाफ (निर्माण विंग) के लिए दिनांक 6–3–2018 अपराह्न 2:00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने तकनीकी कर्मचारियों (निर्माण विंग) की भर्ती एवं पदोन्नति समिति की दिनांक 06–03–2018 को हुई बैठक की कार्यवाही को संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित कर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार मामले को गोपनीय प्रतिवेदनों **(Confidential Reports)** पर नवीनतम संशोधित नियमों के स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु प्रदेश सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया, और तदानुसार मामले को भर्ती एवं पदोन्नति समिति की अनुशंसानुसार कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा जाए।

मद संख्या–9: बी.एड. की दो उपाधियों को निरस्त करने हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वैद्य शंकर लाल मैमोरियल शिक्षा महाविद्यालय के दो छात्रों की बी.एड. उपाधियों को निरस्त करने हेतु कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दिनांक 23–3–2017 को लिए गए निर्णय के अनुसार उक्त महाविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसके प्रत्युत्तर में महाविद्यालय द्वारा दिए गए जबाब को जांच का ठोस आधार न मानते हुए मामले की पुनः जांच करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लियाः–

1–	अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद्	–अध्यक्ष
2–	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	–सदस्य
3–	वरिष्ठतम आचार्य शिक्षा विभाग, हि0प्र0 विश्वविद्यालय	–सदस्य
4–	उप कुलसचिव (शैक्षणिक शाखा)	–संयोजक

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त समिति अपनी जांच रिपार्ट परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या–10: अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता और प्री–आर.डी.पी. में भाग लेने वाले एन.सी.सी. विद्यार्थियों के लिए अलग से विशेष सत्र परीक्षाएं आयोजित करवाई जाने हेतु विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों व एन.सी.सी. ग्रुप हैडक्वाटर से प्राप्त अनुरोध कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने कर्नल, एन.सी.सी. ग्रुप हैडक्वाटर से प्राप्त अनुरोध पर अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता और प्री–आर.डी.सी. में भाग लेने वाले एन.सी.सी. के छात्रों को पूर्व की भांति पॉचवें और छठे समैस्टर के लिए अलग से विशेष सत्र परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करने हेतु सैद्धान्तिक रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय कि भविष्य के लिए इसे परम्परा न माना जाए।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने शेष समैस्टरों के छात्रों के लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कुलपति महोदय को परीक्षा नियन्त्रक की अनुशंसा अनुसार निर्णय लेने हेतु भी अधिकृत किया।

मद संख्या–11: डॉ0 चन्द्र मोहन परशीरा, आचार्य व्यावसायिक अध्ययन संस्थान के पक्ष में जीवन वृत उन्नति योजना के अंतर्गत सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर क्रमशः दिनांक 22–7–2013 एवं 22–7–2016 के स्थान पर पदोन्नति को संशोधित कर क्रमशः दिनांक 20–9–2013 एवं दिनांक 20–9–2016 से करने हेतु प्रकरण को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ0 चन्द्र मोहन परशीरा, आचार्य व्यावसायिक अध्ययन संस्थान के पक्ष में जीवन वृत उन्नति योजना के अंतर्गत सह आचार्य के पद पर दिनांक 22–7–2013 के स्थान पर 20–09–2013 एवं आचार्य के पद पर दिनांक 22–07–2016 के स्थान पर 20–09–2016 से नियमानुसार पदोन्नति करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या–12: श्री इन्द्र सिंह डोगरा सेवानिवत सुरक्षा अधिकारी के सेवा समाप्ति से बहाली तक की अवधि दिनांक 23–2–2005 से 26–8–2008 (3 वर्ष 6 माह 2 दिन) को सेवानिवृत लाभों के भुगतान में गणना करने बारे मामला पुनः कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तृत चर्चा के उपरांत डॉ0 कुलदीप चन्द अग्निहोत्री, सेवानिवृत निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला के पक्ष में सेवा समाप्ति व सेवा बहाली की समयावधि के जारी सेवानिवृति लाभों के तर्ज पर श्री इन्द्र सिंह डोगरा, सेवानिवृत सुरक्षा अधिकारी के सेवा समाप्ति से सेवा बहाली तक की अवधि अर्थात 23–2–2005 से 26–8–2008 को उनके सेवाकाल में जोड़ कर उनके सेवानिवृति लाभों के भुगतान हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–13: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 23–02–2018 **(By Circulation)** सम्पन्न हुई बैठक की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तृत चर्चा के उपरांत विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रदेश व बाहरी राज्यों के छात्रों के **UPSC Civil Services Examinations(Prel., Main and Interview Guidance)** प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जन कल्याण शिक्षा समिति, संकल्प भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली के साथ किए गए समझौता–ज्ञापन हेतु वित्त समिति की दिनांक 23–02–2018 को परिचालन द्वारा सम्पन्न बैठक की सिफारिशों को संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया।

तथापि कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण एवं कार्य सम्पादन की गुणवता की प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् समीक्षा की जाए। और यदि प्रशिक्षण की गुणवता में किसी प्रकार की कमी हो तो समझौता–ज्ञापन के अनुसार मामला उक्त प्रशिक्षण संस्थान से उठाया जाए और समझौता ज्ञापन में तदानुरूप आवश्यकता अनुसार संशोधन का प्रस्ताव परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रदेश व बाहर से आने बाले अभ्यार्थियों को उक्त संस्थान में प्रशिक्षण परिणामपरक सुनिश्चित किया जा सके।

मद संख्या–14: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश के नियमानुससार दिव्या कॉलेज ऑफ प्रोफैशनल स्टडीज, सराहन जिला सिरमौर, हि0प्र0 में चल रही अनियमितताओं की छानबीन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने दिव्या कॉलेज ऑफ प्रोफैशनल स्टडीज, सराहन जिला सिरमौर, में पाई जाने वाली अनियमितताओं पर उक्त महाविद्यालय के विरूद्ध विश्वविद्यालय अध्यादेश में निहित प्रावधानों के अनुरूप आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने का निर्णय लिया। कार्यकारिणी परिषद् ने उक्त महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे

छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें नजदीक के किसी महाविद्यालय में छात्रों की सुविधा अनुसार स्थानान्तरित करने हेतु भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–15: राजकीय महाविद्यालय करसोग एवं वस्सा जिला मण्डी को निरीक्षण समिति की सिफारिशानुसार स्थायी संबद्धता प्रदान करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने राजकीय महाविद्यालय करसोग एवं वस्सा जिला मण्डी को निरीक्षण समिति द्वारा संलग्नक के अनुरूप लगाई गई शर्तों के साथ सत्र 2017–2018 से स्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–16: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में स्वयं–पोषित निधि के अंतर्गत कार्यरत श्री अविनाश भारद्वाज को कम्प्यूटर लैब तकनीशियन के पद पर 10300–34800+3200 ग्रेड पे विभाग की स्वयं–पोषित निधि से प्रदान करने बारे स्थानीय लेखा परीक्षा द्वारा लगाए गए सम्प्रेक्षण अनुसार मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर चर्चा के उपरांत मामले को अनुशंसा हेतु वित्त समिति के समक्ष प्रेषित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–17: शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की आपातकालीन बैठक दिनांक 12–03–2018 की सिफारिशें/निर्णयों को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 12–03–2018 को हुई आपातकालीन बैठक की सिफारिशों/निर्णयों को संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया।

मद संख्या–18: हिमाचल डेन्टल कॉलेज सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे एम.डी.एस. के पॉच कोर्सों को स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निरीक्षण समिति की अनुशंसानुसार हिमाचल डेन्टल कॉलेज सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे **MDS Periodontics, MDS Conservative Dentistry** तथा **MDS Orthodontic** विषय को पॉच सीटें प्रत्येक वर्ष 2017–2018 से स्थायी संबद्धता प्रदान की।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने **MDS Prosthodontics** तथा **MDS Paedodontics** विषय को छः सीटें प्रत्येक को निरीक्षण समिति द्वारा संलग्नक के अनुरूप लगाई गई शर्तों के साथ वर्ष 2017–2018 से चलाने हेतु स्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त महाविद्यालय की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय समय–समय पर महाविद्यालय का निरीक्षण करवाए।

मद संख्या–19: हिमाचल इन्सटीच्यूट ऑफ डेन्टल साईंसज, पॉवटा साहिव जिला सिरमौर, हि0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे एम.डी.एस. के सात कोर्सों व बी.डी. एस. कोर्स को स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निरीक्षण समिति की अनुशंसानुसार हिमाचल इन्सटीच्यूट ऑफ डेन्टल साईंसज, पॉवटा साहिव जिला सिरमौर द्वारा चलाए जा रहे **MDS Conservative Dentistry & Endodontics, MDS Orthodontic** विषय को पॉच सीटें प्रत्येक तथा **BDS** विषय में 100 सीटें वर्ष 2017–2018 से चलाने के लिए स्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने **MDS Prosthodontics , MDS Periodontology** विषय की पॉच सीटें प्रत्येक तथा **MDS Pedodontics, MDS Oral & Maxillofacial Surgery, MDS Oral & Maxillofacial Pathology** विषय को तीन सीटें प्रत्येक से चलाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा संलग्नक के अनुरूप लगाई गई शर्तों के साथ वर्ष 2017–2018 स्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया।

मद संख्या–20:भोजिया डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, बुद्द, बद्दी तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे एम.डी.एस. के दो कोर्सों को स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निरीक्षण समिति की अनुशंसानुसार भोजिया डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, बुद्द, बद्दी तहसील नालागढ़ जिला सोलन द्वारा चलाए जा रहे **MDS Conservative Dentistry & Endodontics** तथा **MDS Periodontology** विषय की क्रमशः पॉच तथा दो सीटें प्रत्येक वर्ष 2017–2018 से स्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया।

मद संख्या–21: **To place before the Executive Council the recommendations of the Deans Committee made Item No.2 in its meeting held on 14.12.2017 for its consideration.**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने संकाय समिति की मद संख्या–2 के अंतर्गत की गई सिफारिशों को संलग्नक के अनुरूप सैद्धान्तिक रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी, दिव्यांग कोष्ठ पूर्ण तथ्यों सहित आवश्यक मद तैयार कर कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करें।

कुलसचिव महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय दिव्यांग कल्याण हेतु पहले ही सजग है और विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांग छात्रों के कल्याण सम्बन्धी मामलों के निवारण हेतु एक नोडल अधिकारी की

नियुक्ति की गई है। उन्होंने परिषद् को यह भी सूचित किया कि दिव्यांग छात्रों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा समुचित सुविधाएं प्रदान न करवाने के विरूद्ध एक जनहित याचिका **CWPIL No.60/2018 titled as its motion Vs State of H.P. & Anoher** दायर की है। उक्त जनहित याचिका पर विश्वविद्यालय के सभी सम्बन्धित अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई और सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे दिव्यांग अधिनियम के अनुरूप दिव्यांग छात्रों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध सुनिश्चित करें। जिसमें इन दिव्यांग छात्रों को पुस्तकालय में **Talking software** युक्त अतिरिक्त कम्प्यूटर, एक आई.टी. प्रौफशनल की सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है तथा इनके लिए पुस्तकालय में बैठने के लिए सुविधाजनक कुर्सियों एवं शौचालय की व्यवस्था करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांग छात्रों के लिए विभिन्न भवनों में जो रूकावट विहीन रास्ते बनाए गए हैं यदि बन्द हैं तो उन्हें तुरन्त खोलने के निर्देश भी दिये गये हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय इन छात्रों के लिए जिन भवनों में लिफ्ट की सुविधा प्रदान की जा सकती है यथासम्भव सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए सुविधाजनक सॉफटवेयर युक्त एवं ए.टी.एम. में रूकाबट विहीन रास्तों के निर्माण/स्थापन का मामला भारतीय स्टेट बैंक एवं कॉऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों के साथ उठाया गया है जिस पर इन बैंक के अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई का आश्वसन दिया है।

इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए यथा निहित स्थान व समय पर सभी कार्य दिवसों पर वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांग छात्रों को विभिन्नन प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करवाने हेतु विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति व जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश व अध्ययन सामग्री (**Braille Lipi**) उपलब्ध करवाने के लिए मामला प्रदेश सरकार व अनुदान–दात्री संस्थाओं से उठाया जाएगा। उपरोक्त याचिका के प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में शपथ–पत्र भी दायर किया है। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया वश्वविद्यालय में दिव्यांग प्रकोष्ठ में नियुक्त नोडल अधिकारी

समय–समय पर विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों के सहयोग से दिव्यांग छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

***मद संख्या–22*: Placed to discuss the admission in Ph.D. in Yoga Studies for the session 2016-2017.**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विस्तार से चर्चा की तथा परिषद् को यह सूचित किया गया कि शैक्षणिक सत्र 2016–2017 योग विषय में पीएच.डी में 12 सीटों के प्रवेश हेतु प्रकाशित विवरणिका पुस्तिका के अनुरूप आवेदन आमन्त्रित किए गए थे। उक्त विवरणिका पुस्तिका में पीएच.डी. प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के 100 अंक दर्शाए गए थे जिसमें लिखित परीक्षा हेतु 80 अंक, साक्षात्कार के 20 अंक उल्लेखित किए गए थे जबकि विश्वविद्यालय द्वारा नए पीएच.डी प्रवेश नियमों जिसकी प्रवेश सूचना दिनांक 24–3–2017 को जारी की गई में लिखित परीक्षा के लिए 80 अंक, **NET** के लिए–20 अंक, **SLET** के लिए–15 अंक व हिमालच प्रदेश विश्वविद्यालय से एम.फिल. उतीर्ण विद्यार्थियों के लिए–10 अंक के साथ कुल 100 अंकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। चूंकि योग विषय में वर्ष 2017 में नैट/जे.आर.एफ. प्रारंभ की गई और विश्वविद्यालय में योग विषय में **NET/JRF/SLET** मात्र एक ही अभ्यार्थी उतीर्ण हुआ है इसलिए विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016–2017 के लिए योग पाठ्यक्रम में मदानुसार व्यक्तिगत साक्षात्कार/वाईवा के 20 अंक जोड़कर कुल 120 अंक की पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा एक विशेष प्रकरण के तौर पर अनुमति प्रदान करने का मामला प्रस्तुत किया है कार्यकारिणी परिषद् ने विस्तृत चर्चा के उपरान्त योग पाठ्यक्रम में पीएच.डी. प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2016–2017 हेतु विवरणिका पुस्तिका के अनुरूप लिखित परीक्षा के 80 अंक,**NET/SET/M.Phil** के 20 अंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार/वाईवा के लिए 20 अंक, कुल 120 अंकों से योग विषय में पीएच.डी. प्रवेश करने हेतु विशेष प्रकरण के तौर पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इस प्रकरण में मात्र शैक्षणिक सत्र 2016–2017 योग विभाग में पीएच.डी हेतु विशेष छूट दी गई है भविष्य में

विश्वविद्यालय के सभी अध्ययन विभागों के लिए पीएच.डी. में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप आयोजित की जाएगी ताकि सभी अध्ययन विभागों में पीएच.डी. प्रवेश के मापदण्डों में समरूपता बनी रहे।

मद संख्या–23: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 26–3–2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 26–3–2018 को हुई बैठक की सिफारिशों को निम्न संशोधन/टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया:–

(मद संख्या–11): कार्यकारिणी परिषद् को सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना संख्या:9–21/91–हि.प्र.वि.(सा0) दिनांक 6–2–2009 के अंतर्गत विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल में एक पद मुख्याध्यापक तथा 13 पद स्कूल शिक्षकों के नियमित वेतनमान में दिनांक 5–9–2002 से सृजित कर उन्हें अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किए गए। उसके उपरान्त अधिसूचना संख्या:9–21/91–हि.प्र.वि.(सा0)भाग–2 दिनांक 25–2–2012 के अंतर्गत तीन पद स्कूल शिक्षकों के नियमित वेतनमान सहित सृजित किए गए। उक्त 16 शिक्षकों के पदों का पदवार कोई भी वर्गीकरण नही किया गया, जबकि इन्हें अधिसूचना संख्या:9–42/2002–हि. प्र.वि.(सा0) दिनांक 3–12–2016 द्वारा जे.बी.टी. पदनाम में परिवर्तित किया गया है। माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के आदेशों के अनुरूप मामला वित्त समिति की दिनांक 4–8–2017 की बैठक में रखा गया जिसमें अनुशंसा की गई कि जे.बी.टी. के 9 पदों को टी.जी.टी. के पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की शर्तों के पूर्ण करने पर स्तरोन्नत किया जाए। उपरोक्त अनुशंसा को कार्यकारिणी परिषद् ने बैठक दिनांक 17–8–2017 में अनुमोदित किया। उक्त 16 जे.बी.टी. शिक्षकों में से एक जे.बी.टी. पात्र शिक्षक को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप टी.जी.टी. के पद पर पूर्व ही पदोन्नत किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा टी.जी.टी. के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2012 के अंतर्गत टी.जी.टी. हेतु अन्य शर्तों के अतिरिक्त

शिक्षक पात्रता योग्यता **(TET)** उतीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में 12 ऐसे शिक्षक इस स्कूल में कार्यरत हैं जिन्होंने अधिसूचना संख्याः**EDN-C-A(3)12/2007-L** दिनांक 31–05–2012 के अंतर्गत यद्यपि शिक्षक पात्रता योग्यता **(TET)** उतीर्ण नहीं की है तथापि अन्य टी.जी.टी. पद हेतु प्रदेश सरकार के भर्ती एवं पदोन्नति नियम–2009 के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हैं इसी प्रकार एक शिक्षक शास्त्री के पद हेतु **TET** के अतिरिक्त पात्र है, एक अन्य शिक्षक **PTI** के पद हेतु पात्र हैं।

अतः कार्यकारिणी परिषद् ने विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत निर्णय लिया कि मॉडल स्कूल के शेष 14 पात्र शिक्षकों को टी.जी.टी. पद के लिए स्तरोन्नति हेतु जो **TET** के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हों, **TET** की शर्त को इस आशय से छूट प्रदान की जाए क्योंकि विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति वर्ष–2009 से पूर्व की गई है। अतः प्रदेश सरकार के टी.जी.टी. पद हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियम–2009 के अनुरूप टी.जी.टी/शास्त्री/पी.टी.आई. के पदों पर शैक्षणिक योग्यता अनुसार स्तरोन्नत किया जाए। ऐसे लाभार्थी शिक्षकों को यह छूट व्यक्तिगत कार्रवाई **(Personal Measure)** ही होगी तथा उनकी सेवा निवृत्ति के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पूर्व में सृजित टी.जी.टी. के स्तरोन्नत मात्र 9 पद 50:50 के अनुपात अर्थात टी.जी.टी कला–50 प्रतिशत, टी.जी.टी. विज्ञान–50 प्रतिशत **(Medical & Non-Medical)** अथवा शैक्षणिक आवश्यकतानुसार ही सृजित माने जाएंगे जिन्हें रिक्तियों के उपरांत सीधी भर्ती से प्रदेश सरकार के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत भरा जाएगा। एक पद शास्त्री व एक **PTI** का भी वर्तमान कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के उपरांत सीधी भर्ती से नियमानुसार भरे जाएंगे। उपर्युक्त स्तरोन्नत 12 टी. जी.टी. के पदों में से 5 टी.जी.टी. विज्ञान व 7 टी.जी.टी. कला के पदों पर स्तरोन्नत होंगे परन्तु यह स्तरोन्नति इस शर्त के साथ अनुमोदित की जाती

है कि पूर्व की भांति ऐसे शिक्षक जे.बी.टी. की कक्षाएं यथावत अनिवार्य रूप से पढ़ाते रहेंगे तथा इस आशय का सत्यापित सहमति शपथ–पत्र ऐसे प्रत्येक शिक्षक को विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा कि वे वर्तमान अथवा भविष्य में कोई भी दावा विश्वविद्यालय के विरूद्ध इस वावत किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी को नहीं करेंगे। शिक्षकों को देय लाभ उक्त लिखित सत्यापित सहमति शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही जारी किए जाएं।

मद संख्या–24: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को प्रदेश सरकार की तर्ज पर मातृत्व अवकाश प्रदान करने एवं तदनुरूप विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 36.15 में संशोधन का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने हिमाचल प्रदेश सरकार की तर्ज पर विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश 36.15 में निम्न संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की:–

Existing Provision	**Proposed Amendment**
Maternity Leave **A female employee with less than two surviving children may be granted leave for a period of 135 days from the date of its commencement.** **Note:- The maternity leave under this rule may also be granted in case of miscarriage included abortion not exceeding 6 weeks (irrespective of number of surviving children) on production of Medical Certificate from the Medical Officer of the University or a Civil Surgeon, Chief Medical Officer or a District Medical Officer. But the total period of maternity leave on account of miscarriage/ abortion should not be more than 45 days in the entire**	**Maternity Leave** **A female employee with less than two surviving children may be granted leave for a period as may be granted by the state government from time to time from the date of its commencement.** **Note:- The maternity leave under this rule may also be granted in case of miscarriage included abortion not exceeding 6 weeks (irrespective of number of surviving children) on production of Medical Certificate from the Medical Officer of the University or a Civil Surgeon, Chief Medical Officer or a District Medical Officer. But the total period of maternity leave on account of miscarriage/ abortion should not be more than 45 days in the entire**

career of female employee.	**career of female employee.**

मद संख्या–25: डॉ0 रितू अग्रवाल, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग का 05–10–2016 से स्वेच्छा/बिना सूचना के अनुपस्थिति तथा डॉ0 अंकाक्षा सूद को नियुक्ति प्रदान करने से सम्बन्धित पूर्ण मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तृत चर्चा की कि यद्यपि डॉ0 रितू अग्रवाल, सहायक आचार्य, मनोविज्ञान विभाग को निर्धारित नियमों के विरूद्ध विश्वविद्यालय से अनाधिकृत रूप से स्वेच्छा/बिना सूचना के अनुपस्थिति के सम्बन्ध में उन्हें विभिन्न माध्यमों से बाबजूद पर्याप्त अवसर प्रदान करने के फलस्वरूप उन्होंने विश्वविद्यालय में उपस्थिति नहीं दी तथा न ही उनसे कोई लिखित उत्तर/सूचना प्राप्त हुई। उपरोक्त के दृष्टिगत सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधान 35.11**(i)** के अनुरूप डॉ0 रितू अग्रवाल सहायक आचार्य की विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं को सेवा नियमों की उल्लंघना के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।

इसके अतिरिक्त यह भी चर्चा की गई कि माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा **OA** संख्या:1764/2017 में दिनांक 10–10–2017 को डॉ0 अकांक्षा सूद को डॉ0 रितू अग्रवाल के स्थान पर तीस दिनों के भीतर नियुक्ति देने के आदेश पारित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 35.11**(i)** के प्रावधान के अनुरूप प्रतीक्षा सूची की एक वर्ष की वैद्यता दिनांक 22–9–2017 को समाप्त हो चुकी है तथा डॉ0 रितू अग्रवाल की सेवा समाप्ति दिनांक 29–3–2018 को करने के निर्णय के उपरांत ही सहायक आचार्य का पद रिक्त हुआ है। माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10–10–2017 को पारित आदेश तथा उक्त स्थिति के दृष्टिगत कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि डॉ0 अकांक्षा सूद को प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सकता तथा इस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के समक्ष चुनौती देने हेतु याचिका तुरन्त दायर की जाए। इसी प्रकार यह

भी निर्णय लिया गया कि माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण में लम्बित अवमानना याचिका संख्या–364/2017 को आदेश दिनांक 10–10–2017 को माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में दायर की जाने वाली याचिका के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।

यथा–स्थान चर्चा:

सदस्य आचार्य एस.के. महाजन ने कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष यह मामला उठाया कि विश्वविद्यालय की वैव–साईट जो समय–समय पर अपडेट होनी चाहिए अपडेट नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय वैव–साईट पर कई अधिकारियों के नाम व अन्य जानकारियां पुरानी ही चल रही हैं। अतः विश्वविद्यालय वैव–साईट को यथाशीघ्र अपडेट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिस पर कुलसचिव महोदय ने परिषद् को आश्वस्त किया कि इस विषय में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं और भविष्य में विश्वविद्यालय वैव–साईट को यथा–समय **(Real-time basis)** अपडेट किया जाएगा।

सदस्य आचार्य एस.एस. कंवर ने विश्वविद्यालय अध्यादेश 35.60 में बौद्धिक सम्पदा अधिकार/परामर्श/वाणिकी दोहन कार्य इत्यादि के लिए मानदेय का अनुपात जोकि वर्तमान में 2:1 के अनुपात में शिक्षक और विश्वविद्यालय में आवंटित किये जाने का प्रावधान है को विश्वविद्यालय अध्यादेश 35.60 में संशोधन कर 60:05:30 में आबंटित करने का लिखित प्रस्ताव रखा जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने उक्त अध्यादेश में निम्न संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की:–

Ord.	**Existing Provision**	**Proposed Amendment**
35.60	**If as a result of the research of the teacher an invention made by him is to be patented or commercially exploited, the patent shall vest in the University, and the royalty or payment received in lieu thereof shall be shared between teacher and the University in the ratio of two to one**	**In the event of the research of the teacher an invention made by him is to be patented or commercially exploited, the patent shall vest in the University, and the royalty or payment received in lieu thereof shall be shared between teacher, Intellectual Property Right and Consultation Cell(IPRCC) and**

		the University in the ratio of 60:05:30 **Provided that a teacher/other staff of the University receives a Project or Consultancy work through the University from an outside agency, whether Govt. or Private, the remuneration received in lieu thereof shall be shared between the teachers/other staff and the University in the ratio of teacher, IPRCC and the University in the ratio 65:05:30.**

बैठक के अन्त में कुलपति महोदय एवं कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों के माध्यम से भिन्न–भिन्न छात्र एवं कर्मचारी संगठनों से प्राप्त हुए मांग–पत्रों पर मॉग–बार चर्चा की और निर्णय लिया कि इन मांग–पत्रों/अभ्यावेदनों पर आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के सम्बन्धित कार्यालयों/विभागों/शाखाओं को प्रेषित कर दिया जाए। हालांकि माननीय कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि छात्र संगठनों ने अपने मांग पत्र में के.एल.बी. डी. ए.वी. महाविद्यालय पालमपुर में भ्रष्टाचार का जो मामला उठाया गया है मामले में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में प्रविष्ट एम.सी.ए. छात्रों को प्रवेश व परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 22–01–2018 को हुई बैठक में प्रतिवेदित कर दिया गया था जिसे कार्यकारिणी परिषद् ने पुनः नोट कर अनुमोदित किया। मामले में अधिष्ठाता, भौतिक–विज्ञान संकाय की अध्यक्षता में भी समिति का गठन किया गया था जिसमें समिति के समक्ष यह मामला रखा गया था जिसमें समिति द्वारा जांच के बाद यह पाया कि छात्र संगठनों ने जो आरोप लगाए गए हैं उसमें न तो विषय और न ही सत्र का उल्लेख होने के कारण जांच आगे नहीं बढ़ाई जा सकी।

अंत में सम्माननीय सदस्य आचार्य वाई.के. शर्मा ने परिषद् को सूचित किया कि कार्यकारिणी परिषद् में उनका कार्यकाल 6 अप्रैल, 2018 को समाप्त हो रहा है और यह उनके कार्यकाल की अन्तिम बैठक है इस कार्यकाल में उन्हें कार्यकारिणी परिषद् एवं विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी वर्ग का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ जिसके लिए उन्होंने समस्त कार्यकारिणी परिषद् एवं कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद प्रेषित किया। आचार्य वाई. के. शर्मा के धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरांत कार्यकारिणी परिषद् के सभापति एवं सदस्यों ने भी उनके बहुमूल्य सुझावों और कार्यकारिणी परिषद् की बैठकों में उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया।

अन्त में बैठक पीठ के द्वारा एवं पीठ के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(के.के. शर्मा)हि.प्र.से.
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0/–

(आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान)
कुलपति/सभापति